2009:CGHC:11376
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री सुनील कुमार सिंहा, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक **1097/2005**

श्रीमती सविता बाई एवं अन्य

बनाम

विनोद कुमार साहू एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(संबध्द अपील.क्रमांक 306/2006)

निर्णय

विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ताक्षरित –
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित –
(राजीव गुप्ता)
मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

निर्णय हेतु दिनांक 27/07/2009 को
सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरित –
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध अपील क्रमांक **1097/2005**

अपीलार्थी / दावा कर्ता

1. श्रीमती सविता बाई, पति स्व. ईश कुमार साहू, उम्र लगभग 26 वर्ष

2. श्रीमती तिलमती बाई, पत्नी नाथूराम साहू, उम्र लगभग 52 वर्ष

3. नाथूराम, पिता जगतराम, उम्र लगभग 55 वर्ष

4. कु. पार्वती, उम्र लगभग 10 वर्ष

5. कु. जानकी, उम्र लगभग 8 वर्ष

6. दीनदयाल, उम्र लगभग 6 वर्ष

7. कु. थनमती, उम्र लगभग 4 वर्ष

अपीलार्थी संख्या 4 से 7, स्व. ईश कुमार साहू के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो नाबालिग हैं, जिनकीओर से उनकी माता श्रीमती सविता बाई (स्व. ईश कुमार साहू की विधवा) हैं, सभी निवासी ग्राम साल्हे घोरी, थाना एवं तहसील लोरमी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u>

1. विनोद कुमार साहू, पिता पी.आर. साहू, उम्र लगभग 34 वर्ष, जो उस समय वाहन डम्पर क्रमांक सीजी 10 जेडबी-1476 का चालक था, निवासी कुंडी हट गांव, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. बलराम यादव, उम्र लगभग 45 वर्ष, वाहन डम्फर क्रमांक सीजी-10 जेडबी-1476 का मालिक, निवासी कंझेटा, कोलेगांव पोस्ट, थाना एवं तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)।

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बी-1, ताहा कॉम्प्लेक्स, प्रियदर्शिनी नगर, बिलासपुर (छ.ग.)।

विविध अपील क्रमांक **1097/2005** और **306/2006**

और

विविध अपील क्रमांक **306/2006**

विविध अपील क्रमांक **1097/2005** और **306/2006**

अपीलकर्ता

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी-1 ताहा कॉम्प्लेक्स, प्रियदर्शिनी नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. विनोद कुमार साहू पुत्र श्री पी.आर. साहू, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम घुथुल कुंडी, तहसील पंडरिया, जिला: कबीरधाम (छ.ग.) **(चालक)**
2. बलराम यादव, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम कंझेटा, पोस्ट कोलागाँव, तहसील - पंडरिया, जिला: कबीरधाम (छ.ग.) **(मालिक)**
3. **श्रीमती सविता बाई, पत्नी ईश कुमार साहू, उम्र लगभग 26 वर्ष**
4. श्रीमती तिलमती बाई, पत्नी नाथू राम साहू, उम्र लगभग 52 वर्ष
5. **नाथू राम साहू पुत्र जगत राम साहू, उम्र लगभग 55 वर्ष**
6. **पार्वती पुत्री स्वर्गीय ईश कुमार साहू, उम्र लगभग 10 वर्ष**
7. कु. जानकी पुत्री स्वर्गीय ईश कुमार साहू, उम्र लगभग 8 वर्ष
8. **दीन दयाल पुत्र स्वर्गीय ईश कुमार साहू, उम्र लगभग 6 वर्ष**

9. **कु. थान मति दियो स्वर्गीय ईश कुमार साहू, उम्र लगभग 4 वर्ष**

(प्रतिवादी 3 से 9 दावेदार हैं)

प्रतिवादी संख्या 6 से 9 प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती सविता बाई, माता और प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से हैं।

10. **सभी निवासी ग्राम साल्हे घोरी, थाना एवं तहसील-लोरमी, जिला: बिलासपुर (छ.ग.) हैं।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मोटर यान अधिनियम**, 1988** की धारा **173** के तहत अपील**)**

उपस्थिति:

दावाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाश चंद साहू और श्री जी.एस.पटेल।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री राज अवस्थी।

मालिक और चालक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

(29.07.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया।

(1)ये अपीलें द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.), मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 13/2005 में दिनांक 10.08.2005 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं। नैशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निर्णय की राशि को कम करने के लिए वि.अ.क्रमांक 306/2006 दायर की गई है, जबकि दावा कर्ता द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए वि.अ.क्रमांक 1097/2005 दायर की गई है।

(2)तथ्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दावकर्तागण मृतक ईश कुमार साहू की विधवा, नाबालिग बच्चे और माता-पिता हैं, जिनकी मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दावा कर्ता ने मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत मृतक ईश कुमार साहू की मृत्यु के कारण 35,75,000/- रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए एक दावा याचिका दायर किया, जिनकी मृत्यु 17.01.2005 को हुई थी, जब वे जिस मोटरसाइकिल को चला रहे थे, उसे चालक द्वारा वाहन (टाटा-407) पंजीकरण क्रमांक सीजी-10 जेडबी 1476 को लापरवाही और उतावलेपन से चलाए जाने के कारण टक्कर मार दी गई, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। दावा कर्ता ने दावा किया कि मृतक गांव साल्हेघोरी में अपनी किराना दुकान

से प्रतिदिन 250-300/- रुपये कमा रहा था। इसके अलावा, वह कृषि भूमि से भी प्रति वर्ष 75,000/- रुपये कमा रहा था।

वाहन का मालिक एकपक्षीय (एकपक्षीय) बना रहा। वाहन के चालक ने अपना लिखित बयान दायर कर याचिकाकर्ताओं के दावों का खंडन किया और यह तर्क दिया कि वह वाहन को उतावलेपन या असावधानी से नहीं चला रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता मुआवजा पाने के हकदार नहीं हैं। बीमा कंपनी ने भी अपना लिखित बयान दायर कर याचिकाकर्ताओं के दावों का खंडन किया। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि दुर्घटना की तारीख को वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था, जिससे यह माना जा सकता है कि वाहन पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बीमा कंपनी को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत 18.7.2005 को अनुमति भी दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी दावा याचिका के समर्थन में सविता बाई (अ.सा.-1), रघुनाथ साहू (अ.सा.-2) और केशव साहू (अ.सा.-3) की गवाही दर्ज कराई, जबकि बीमा कंपनी ने इसके खंडन में सुदर्शन दास (अनावेदक साक्ष्य.-1) की गवाही दर्ज कराई।

न्यायाधिकरण (अधिकरण) का निर्णय विद्वान दावा अधिकरण ने यह पाया कि दुर्घटना उतावलेपन और लापरवाही से चलाए जा रहे संबंधित वाहन (टाटा-407) के कारण हुई थी और उस वाहन का बीमाकर्ता मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने यह भी माना कि मृतक की मासिक आय ₹6,000/- थी और वार्षिक आय ₹72,000/- थी। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 राशि घटाने के बाद, याचिकाकर्ताओं की वार्षिक निर्भरता ₹48,000/- आंकी गई। अधिकरण ने 18 का गुणक लागू किया और मुआवजे की राशि ₹8,64,000/- तय की। अन्य मदों के तहत ₹7,000/- की अतिरिक्त राशि जोड़ने के बाद, कुल मुआवजे की राशि ₹8,71,000/- तय की गई। अधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान होने तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3)याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि मृतक की आय का सही आकलन नहीं किया गया है और कम मुआवजा दिया गया है।

(4)दूसरी ओर बीमा कंपनी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता इन तर्कों का विरोध किया। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि एक उच्च आय का आकलन किया गया है और मुआवजे की मात्रा को उपयुक्त रूप से कम किया जाना चाहिए ।

(5)हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और दावा मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

(6) जहाँ तक आय के आकलन का संबंध है, अ.सा.-1, सविता बाई ने शपथ पत्र पर कहा कि मृतक की साल्हेघोरी गाँव में एक किराना दुकान थी जिससे वह प्रतिदिन 250-300 रुपये कमाता था। यह गाँव की एकमात्र किराना दुकान थी। मृतक के पास 6 एकड़ कृषि भूमि थी जिसमें वे धान, गेहूँ और चना आदि की खेती करते थे। उसने बताया कि वास्तव में मृतक किराना दुकान से 8,000 रुपये प्रति माह कमाता था। मृतक द्वारा किराना दुकान चलाने के तथ्य के समर्थन में उसने कई दस्तावेज जैसे कि तंबाकू बेचने के लिए आबकारी विभाग द्वारा जारी लाइसेंस आदि और दुकान के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न नोटिस भी दाखिल किए थे। उसने कृषि भूमि के अभिलेख भी दाखिल किए हैं। दावा कर्ता द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों की सामग्री से पता चलता है कि मृतक गाँव में किराना दुकान चला रहा था। मृतक की आय के मुद्दे पर उससे लंबा प्रतिपरीक्षण किया गया, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत अभिलेख में नहीं लाया जा सका जिससे यह कहा जा सके कि मृतक की कोई किराना दुकान नहीं थी, जैसा कि दावा कर्ता ने दावा किया था। साक्ष्य की इसी स्थिति में, न्यायाधिकरण ने यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आकलन किया कि मृतक अपनी उक्त किराना दुकान से 200 रुपये प्रतिदिन और 6,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। न्यायाधिकरण ने मृतक की कृषि भूमि से कोई आय का आकलन नहीं किया है। अभिलेख में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हमें न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की आय के आकलन में कोई त्रुटि नहीं दिखती। यह आकलन अ.सा.-1, सविता बाई (मृतक की विधवा) की मौखिक गवाही और उसके द्वारा दायर दुकान से संबंधित दस्तावेजों पर आधारित है। इसलिए, हम न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि मृतक अपनी किराना दुकान से जो साल्हेघोरी गाँव में चल रही थी,

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6,000 रुपये प्रति माह और 72,000 रुपये प्रति वर्ष कमा रहा था और मृतक की आय के आकलन से संबंधित तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते।

(7) जहाँ तक मुआवज़े की राशि का संबंध है, बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राज अवस्थी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा चुना गया 18 का गुणक बहुत अधिक था। न्यायाधिकरण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के तहत निर्धारित अनुसूची के आधार पर 18 का गुणक चुना है और माना है कि मृतक की आयु 25-30 वर्ष के बीच थी। बेशक दावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दायर नहीं किया गया था, इसलिए अनुसूची में निर्धारित गुणक न्यायाधिकरण पर

बाध्यकारी नहीं था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर दावा याचिका में, न्यायाधिकरण को यह देखना होगा कि उचित और न्यायसंगत मुआवज़ा दिया जाए और उचित और न्यायसंगत मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि किसी दावे के मामले में, मुआवजे की राशि न तो मामूली होनी चाहिए और न ही बहुत बड़ी। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुआवजे से पीड़ित को अप्रत्याशित लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुआवजा न्यायसंगत होना चाहिए। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का कर्तव्य है कि वे विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करें और मुआवजे की राशि निर्धारित करें, जो न्यायसंगत होनी चाहिए और जो विशेष तथ्यों और परिस्थितियों और विशिष्ट या विशेष विशेषताओं, यदि कोई हो, पर निर्भर करेगी। प्रत्येक मुआवज़े के आकलन के लिए अपनाई गई विधि या तरीके को "उचित" मुआवज़े की पृष्ठभूमि में ध्यान में रखना होगा जो कि एक महत्वपूर्ण विचार है और जिसके लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। "उचित" शब्द समता निष्पक्षता तर्कसंगतता और मनमानी न करने का द्योतक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कृपया हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जसबीर कौर और अन्य **(2003) 7** एससीसी **484** और हेलेन सी. रेबेलो **(श्रीमती)** और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य **(1999) 1** एससीसी **90** देखें।

(8) सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में उल्लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मृतक की आयु लगभग 29 वर्ष थी और विधवा की आयु लगभग 26 वर्ष दर्शाई गई है तथा उसके 4 नाबालिग बच्चे हैं जिनकी आयु लगभग 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष है तथा माता-पिता भी मृतक पर निर्भर थे और इसके अतिरिक्त यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर याचिका थी,हम इस मामले में 14 का गुणक लागू करना और मुआवजे की पुनः गणना करना उचित समझते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) 48,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता पर 14 का गुणक लगाने पर, मुआवजा 6,72,000/- रुपये होता है। अन्य अनुमेय शीर्षों के अंतर्गत 15,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने पर, कुल राशि 6,87,000/- रुपये होती है, जिसे दावाकर्ता मोटर दुर्घटना में मृतक आश कुमार साहू की मृत्यु के कारण मुआवजे के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं। दावेदार 6,87,000/- रुपये की उक्त राशि पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से 7.9.2006 तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने के भी हकदार हैं

क्योंकि न्यायालय में यह कहा गया है कि बीमा कंपनी ने पहले ही 7.9.2006 को आक्षेपित अधिनिर्णय के आधार पर मुआवजे की अंतिम राशि के रूप में 7,50,000/- रुपये जमा किए गए और उनके द्वारा 50,000/- रुपये पहले ही जमा कर दिए गए थे।

(10) परिणामस्वरूप, मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए दावा कर्ता द्वारा दायर वि.अ. क्रमांक 1097/2005 को खारिज किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा दायर वि.अ. क्रमांक 306/2006 को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(11) वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित – हस्ताक्षरित –

(राजीव गुप्ता) **(सुनील कुमार सिन्हा)**

<u>मुख्य न्यायाधीश</u> <u>न्यायमूर्ति</u>

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अन्वाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by Yash Khare</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur